न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R·3287-III/14

1– श्रीमती गनेश राजा पत्नी श्री शिवराज सिंह,

2– श्रीमती गेंदा राजा पत्नी श्री रामसिंह समस्त निवासीगण ग्राम बरेठी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

-- आवेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी एड. द्वारा आज दि. 27.09.14 को प्रस्तुत

27.9.14

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– पप्पू पुत्र श्री मिहीलाल बसोर,

2– मिहीलाल पुत्र श्री दुर्जना बसोर, निवासीगण– ग्राम बरेठी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

-- .अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ–21/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 323/13 पारित आदेश दिनांक 08.03.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम बरेठी, तहसील राजनगर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 646/3, रकवा 2.023 हैक्टेयर, का अस्थायी पट्टा वर्ष 1973–74 से 1997–78 के लिए अनावेदक क्रमांक 2 को दिया गया था, और भूमि पर कब्जा अनावेदक क्रमांक 2 का है तथा उसके द्वारा पट्टे की समस्त शर्तो का पालन किया गया है, एवं तहसीलदार बसारी द्वारा आदेश दिनांक 24.07.1991 से अनावेदक क्रमांक 2 को विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया है।

2– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 के पिता मिहीलाल को आवेदक क्रमांक 1 व 2 के पति शिवराज सिंह व रामसिंह ने यह कहते हुए कि तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे एवं गरीबीरेखा में नाम जुड़वा देंगे, इसलिए तुम्हे राजनगर चलकर कुछ कागज बनवाने होंगे तथा वहां जांकर कुछ कागजातों पर अंगूठा लगवा लिये हैं।

27.9.14
K.K. Dwivedi

3– यहकि, विवादित भूमि एन.टी.पी.सी. पॉवर प्लॉट द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3287–तीन / 2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–03–15	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– यह प्रकरण कलेक्टर जिला छतरपुर ने आवेदक के प्रकरण में प्रकरण के निराकरण तक स्थगन आदेश दिनांक 8–3–13 को जारी किया है जिसके पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने उनके खाते पर रोक लगाई है जिसके विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है । 3– अधिवक्ता के तर्क एवं प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला छतरपुर ने दिनांक 8–3–13 को प्रकरण के निराकरण तक स्थगन आदेश जारी किया है । जिसके पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण के खातों में जमा राशि के आहरण पर रोक लगाई गई है । अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह भी बताया है कि उनके खाते में जमा राशि मुआवजा राशि न होकर कृषि उपज की राशि भी जमा है। प्रकरण में कलेक्टर जिला छतरपुर को आगामी कार्यवाही की जाना है जहॉ पर आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। अतः कलेक्टर जिला टीकमगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक द्वारा किये गये निवेदन को विचार करते हुये प्रकरण में आदेश पारित करें । इसी निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण निराकृत किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	